



फतेहगढ़ पुलिस



प्रेस नोट – थाना मेरापुर

दिनांक - 22.06.2025

थाना मेरापुर पुलिस द्वारा एक अभियुक्त को 01 डबल बैरल 12 बोर लाइसेंसी बन्दूक टूटी हुई व 02 खोखा कारतूस 12 बोर सहित किया गया गिरफ्तार ।

श्रीमान अपर पुलिस महानिदेशक कानपुर जोन, कानपुर श्री आलोक सिंह के निर्देशन, श्रीमान पुलिस उपमहानिरीक्षक कानपुर परिक्षेत्र, कानपुर श्री हरीश चंदर के कुशल पर्यवेक्षण, पुलिस अधीक्षक फतेहगढ़ श्रीमती आरती सिंह के मार्गदर्शन, अपर पुलिस अधीक्षक डॉ० संजय सिंह व क्षेत्राधिकारी कायमगंज संजय वर्मा के नेतृत्व में थाना मेरापुर पुलिस बल द्वारा मु०अ०सं० 81/2025 धारा 351(3)/109/352/115(2) बीएनएस व 3/25/30/27 आर्म्स एक्ट से सम्बन्धित अभियुक्त को 01 डबल बैरल 12 बोर लाइसेन्सी बन्दूक टूटी हुई व 02 खोखा कारतूस 12 बोर सहित गिरफ्तार कर अग्रिम विधिक कार्यवाही की जा रही है ।



गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता -

01. आदर्श कुमार मिश्रा पुत्र चन्द्र प्रकाश मिश्रा निवासी ग्राम कुबेरपुर जुन्नारदार थाना मेरापुर जनपद फतेहगढ़ ।

घटना का विवरण – दिनांक 21.06.2025 को वादी श्री आशुतोष मिश्रा पुत्र देवेन्द्र कुमार मिश्रा (ग्राम प्रधान) ग्राम कुबेरपुर जुन्नारदार थाना मेरापुर जनपद फतेहगढ़ द्वारा थाना स्थानीय पर तहरीर दी गयी की आदर्श कुमार मिश्रा द्वारा अपने चाचा की लाइसेंसी बन्दूक से वादी के ऊपर जान से मारने की नीयत से फायर किया गया व अन्य लोगो द्वारा गाली-गलौज कर मारपीट की गयी है। वादी की तहरीर के आधार पर थाना मेरापुर पर मु0अ0सं0 81/2025 धारा 351(3)/109/352/115(2) बीएनएस व 3/25/30/27 आर्म्स एक्ट बनाम आदर्श कुमार मिश्रा पुत्र चन्द्र प्रकाश मिश्रा निवासी ग्राम कुबेरपुर जुन्नारदार थाना मेरापुर जनपद फतेहगढ़ आदि 03 नफर पंजीकृत कर अभियुक्त आदर्श कुमार मिश्रा उपरोक्त को गिरफ्तार कर अग्रिम विधिक कार्यवाही की जा रही है।

पूछताछ का विवरण -

अभियुक्त आदर्श कुमार मिश्रा से पूछताछ करने पर अपनी गलती की माँफी मागते हुए अपनी सफाई अपने वकील के माध्यम से मा0 न्यायालय के समक्ष देना बताया।

बरामदगी का विवरण -

01. 01 डबल बैरल 12 बोर लाइसेन्सी बन्दूक टूटी हुई।
02. 02 खोखा कारतूस 12 बोर।

अभियुक्त आदर्श कुमार मिश्रा उपरोक्त का आपराधिक इतिहास-

1. मु0अ0सं0 81/2025 धारा 351(3)/109/352/115(2) BNS व 3/25/30/27 आर्म्स एक्ट थाना मेरापुर जनपद फतेहगढ़

गिरफ्तार/बरामद करने वाली थाना मेरापुर पुलिस -

1. महिला उप निरीक्षक साधना यादव
2. आरक्षी विक्रम सिंह

मीडिया सेल फतेहगढ़।



फतेहगढ़ पुलिस



प्रेस नोट – थाना मऊदरवाजा

दिनांक - 22.06.2025

थाना मऊदरवाजा पुलिस द्वारा रंगदारी माँगने वाले वाँछित अभियुक्त को 48 घण्टे के अन्दर किया गया गिरफ्तार

श्रीमान अपर पुलिस महानिदेशक कानपुर जोन, कानपुर श्री आलोक सिंह के निर्देशन, श्रीमान पुलिस उपमहानिरीक्षक कानपुर रेंज, कानपुर श्री हरीश चंदर के कुशल पर्यवेक्षण, पुलिस अधीक्षक फतेहगढ़ श्रीमती आरती सिंह के मार्गदर्शन, अपर पुलिस अधीक्षक डॉ० संजय सिंह व क्षेत्राधिकारी नगर सुश्री ऐश्वर्या उपाध्याय के नेतृत्व में थाना मऊदरवाजा पर पंजीकृत मु०अ०सं० 193/2025 धारा 115(2)/352/308(5)/351(3)/324(5) BNS व 3(1)(द)/3(1)(ध)/3(2)(va) SC/ST Act से सम्बन्धित वाँछित अभियुक्त शाहरूख खान पुत्र नियामत खान निवासी ढिलावल थाना मऊदरवाजा जनपद फतेहगढ़ को 48 घण्टे के अन्दर गिरफ्तार कर अग्रिम विधिक कार्यवाही की जा रही है।



गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता -

01. शाहरूख खान पुत्र नियामत खान निवासी ढिलावल थाना मऊदरवाजा जनपद फतेहगढ़।

घटना का संक्षिप्त विवरण - वादी श्री अनिल कुमार जाटव पुत्र रामनरेश जाटव हाल निवासी ग्राम नूरपुर जसमई थाना मऊदरवाजा जनपद फतेहगढ़ द्वारा दिनांक 20.06.2025 को थाना मऊदरवाजा पर तहरीर दी कि वादी वर्तमान में होमगार्ड विभाग में जनपद फतेहगढ़ में तैनात है। दिनांक 20.06.2025 को वादी अपनी स्कूटी से अपनी दुकान जसमई चौराहे पर जा रहा था तभी समय करीब दोपहर 14.50 बजे ढिलावल तिराहे से पहले मन्दिर के पास अभियुक्त शाहरूख खान उपरोक्त द्वारा अपना चार पहिया वाहन वादी की स्कूटी के सामने रोककर 06 लाख रुपये की रंगदारी माँगने लगा व जाति सूचक गालियाँ देने लगा। वादी की तहरीर के आधार पर थाना मऊदरवाजा पर मु0अ0सं0 193/2025 धारा 115(2)/352/308(5)/351(3)/324(5) BNS व 3(1)द/3(1)ध/3(2)va SC/ST Act बनाम शाहरूख खान पुत्र नियामत खान निवासी ढिलावल थाना मऊदरवाजा जनपद फतेहगढ़ पंजीकृत कर मुखबिर की सूचना पर अभियुक्त शाहरूख खान उपरोक्त को गिरफ्तार कर अग्रिम विधिक कार्यवाही की जा रही है।

पूछताछ का विवरण -

अभियुक्त शाहरूख खान उपरोक्त से पूछताछ करने पर अभियुक्त ने अपने जुर्म से इनकार करते हुए बताया कि मैं पीडब्ल्यूडी विभाग के प्रान्तीय खण्ड जनपद कन्नौज में क्लीनर के पद पर नियुक्त हूँ। मैं अपनी सफाई अपने वकील साहब के माध्यम से मा0 न्यायालय के समक्ष दूँगा।

अभियुक्त शाहरूख खान उपरोक्त का आपराधिक इतिहास -

1. मु0अ0सं0 193/2025 धारा 115(2)/352/308(5)/351(3)/324(5) BNS व 3(1)द/3(1)ध/3(2)va SC/ST Act थाना मऊदरवाजा जनपद फतेहगढ़।

गिरफ्तार करने वाली थाना मऊदरवाजा पुलिस टीम -

1. थानाध्यक्ष श्री बलराज भाटी
2. उ0नि0 श्री अजय सिंह
3. आरक्षी संदीप सिंह

मीडिया सेल फतेहगढ़।

